संख्या–....../58–1–2018–175/75

प्रेषक,

आर.पी. सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त**
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

उद्यान अनुभाग /लखनऊ/दिनांकः अप्रैल, 2018

विषयः–प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ई–सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई–डिस्ट्रिक परियोजना के द्वारा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की जनहित गारण्टी से संबंधित सेवाओं को आम जनमानस तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनसामान्य को किफायती पारदर्शी एवं सहज–सुलभ रीति से सेवायें उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। वर्तमान में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की जनहित गारण्टी से संबंधित सेवायें प्रदेश में स्थापित जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही है। पंजीकरण एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया को ऑन लाइन किया जा रहा है, इस संबंध में जनहित गारण्टी सेवाओं के कार्यक्रम को www.janhit.uphorticulture.in और www.edistrict.up.nic.in पोर्टल पर पंजीकरण एवं नवीनीकरण कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त उद्यान विभाग की निम्न सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

1	निजी क्षेत्र की पौधशालाओं के पंजीकरण का कार्य	अ–उ0प्र0 फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम–1976 के अधीन निजी क्षेत्रों में स्थापित फल पौधशालाओं के पंजीकरण का कार्य। शा0सं0–3863/58–2007–175/75 दि0–29–02–2008 के अनुपालन में।
		ब–पंजीकृत किये गये पौधशालाओं के नवीनीकरण का कार्य। शासनादेश–3863/58–2007–175/75 दि0–29–02–2008 के अनुपालन में।

पौधशाला का क्षेत्र	लाईसेंस फीस (रू0)	नवीनीकरण की फीस (रू0)
0.2 और 0.5 हेक्टेयर के बीच के क्षेत्रफल की फल पौधशाला	250	125
0.5 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 2 हेक्टेयर से कम के क्षेत्रफल की फल पौधशाला	1000	500
2 हेक्टेयर और इससे अधिक क्षेत्रफल की फल पौधशाला	2500	1250

पौधशाला के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु लाईसेंस फीस चालान के माध्यम से निम्नांकित लेखाशीर्षक में धनराशि जमा की जायेगीः–

0401–फसल कृषि कर्म–00–800–अन्य प्राप्तियॉ–0900–फल पौधशाला लाईसेंस फीस

0	4	0	1	0	0	8	0	0	0	9	0	0

नोट— उपर्युक्त सभी सेवाओं हेतु समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति के साथ निजी क्षेत्रों में स्थापित फल पौधशालाओं के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत होने के दिनांक से 45 कार्य दिवस निदेशक उद्यान/लाईसेंसिंग अधिकारी(फल पौधशाला), उ0प्र0 द्वारा तथा पंजीकृत किये गये पौधशालाओं के नवीनीकरण का कार्य जनपदीय उद्यान अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा 25 कार्य दिवस में निस्तारण किया जाना अपेक्षित है।

3. उद्यान विभाग की चयनित सेवाओं को ई—डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने के उपरान्त जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों ई—सुविधा केन्द्रों पर आम नागरिकों से प्रत्येक शासकीय सेवा के प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिए यूजर चार्ज आई.टी. विभाग के शासनादेशानुसार लिये जायेंगे।

4. यादि कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उस पर उपरोक्त यूजर चार्जेज लागू नहीं होंगे।

5. उद्यान एवं खा़द्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 की चयनित सेवाओं को ई—डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने हेतु विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा एन.आई.सी0/एस.ई.एम.टी. की तकनीकी टीम से समन्वय स्थापित किया जायेगा। ई—डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेशन के पश्चात् सभी सम्बन्धित स्टेक होल्डर द्वारा पायलट आधार पर टेस्ट रन की कार्यवाही की जायेगी ताकि गो—लाईव के उपरान्त सेवाओं को प्रदान करने में किसी परेशानी का सामना नही करना पड़े।

6. आवेदक द्वारा विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम जनसेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, जनसुविधा केन्द्र तथा ई—सुविधा केन्द्र में जाकर केन्द्र आपरेटर से अनुरोध करना होगा। तदोपरान्त केन्द्र आपरेटर ई—डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉग— इन करके सेवा प्रदान करेगा। आवेदक द्वारा प्राप्त की गयी सम्बन्धित सेवा के लिए प्रस्तर—3 में निर्धारित यूजर चार्ज का भुगतान केन्द्र आपरेटर को किया जायेगा।

7. ई—डिस्ट्रिक पोर्टल से आये ई—रजिस्ट्रेशन/ई—रिटर्न को विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा उसी तरह प्रोसेस किया जायेगा जिस तरह वह वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल पर प्रोसेस कर रहे हैं।

8. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियॉ शीर्ष— प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर.पी. सिंह)
विशेष सचिव

संख्या— **तद् दिनांक।**

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई—गवर्नेन्स, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
5. एस0आई0ओ0 योजना भवन, लखनऊ।
6. हेड एस0ई0एम0टी0, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( )
विशेष सचिव

संख्याः   /तद्दिनांक

प्रतिलिपिः—

1— संयुक्त निदेशक, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती एवं सहारनपुर।

2— मुख्य उद्यान विशेषज्ञ, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, खुशरूबाग, (इलाहाबाद) एवं मलिहाबाद (लखनऊ)।

3— सिट्रस विशेषज्ञ, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बरूआसागर, झांसी।

4— समस्त उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0।

5— समस्त जिला उद्यान अधिकारी/समस्त अधीक्षक, राजकीय उद्यान/समस्त आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी।

(   )

अनुसचिव